<u>न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं</u>

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 28/2022

मदन पुत्र स्व0 नारूराम, जाति मेघवाल, निवासी हमीरवास नुंआ, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र स्व0 नारूराम
2. ताराचन्द पुत्र स्व0 नारूराम
   जाति मेघवाल, निवासीगण हमीरवास नुंआ, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं।
3. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मण्डावा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुझुनू।

—— रेस्पोडेन्ट्स

———

अपील बखिलाफ निर्णय नायब तहसीलदार मण्डावा उनवानी मुकदमा सरकार बनाम महेन्द्र आदि आदेश दिनांक 27.07.2021 मु0न0 01/2019 अ0 धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थितः—

1. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री जयप्रकाश पूनिया—रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट सं0 3 व 4 की ओर उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट सं0 1 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

<u>आदेश</u>

दिनांक 31.10.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 27.07.2021 के विरूद्व मय प्रा0प0 स्थगन एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व पत्रावली है। अपीलार्थी को जिस भूमि बाबत नायब तहसीलदार महोदय ने बाद पटवारी रिपोर्ट नोटिस दिया है उक्त भूमि पर अपीलार्थी अपने दादा के समय से आबाद है। उक्त भूमि पर वर्तमान खसरा नं0 23 व 29 बाबत नोटिस दिया है इस पर आजादी समय से पहले अर्थात सन् 1947 से पहले से इस भूमि पर आबाद है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 में प्रभाव में आया है। अपीलार्थी के पूर्वज 1956 से पूर्व से आबाद है। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रभाव भुतलक्षी नहीं है। इसलिये अपीलार्थी को लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 से बेदखली नही किया जा सकता। सन् 1974 में संयुक्त परिवार की हैसियत से जीवणराम को नोटिस दिया गया था जिसमें 91 की कार्यवाही ड्रोप कर दी गई थी। परन्तु उक्त पत्रावली रिकार्ड से तलफ कर दी गई। जब एक बार का[illegible] में ड्रोप कर दी गई है तो पुनः 91 की कार्यवाही संस्थित नही की जा सकती। पूर्व में अपीलार्थी के पिता नारूराम के विरूद्ध 1974 में कार्यवाही ड्रोप होने के पश्चात उसी भूमि बाबत पुनः कार्यवाही संस्थित की गई। जिसमे तहसीलदार महोदय के निर्णय के विरूद्ध जिला कलेक्टर महोदय के स[illegible] महोदय के निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्व अपील अधिकारी [illegible] के समक्ष प्रस्तुत की तो राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुंझुनूं ने दिनांक 23.11.90 को अपीलार्थी के पिता नारूराम की अपील स्वीकार की। "अतः अपीलान्ट की स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त किये जावे एवं विवादित भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.09 16:36:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

जिस पर अपीलान्ट कदीमी रूप से आबाद होकर निवास कर रहा है नियमित की जाती है।" उक्त निर्णय पारित होने के पश्चात ना तो नायब तहसीलदार मण्डावा को नोटिस देना चाहिये था ना ही बेदखली की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। क्योंकि राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय मातहत अदालतों पर बाध्यकारित है। 1990 में निर्णय पारित होने के पश्चात् तहसीलदार ने अपीलार्थी के पिता को गलत रूप से नोंटिस जारी किया परन्तु दिनांक 28.06.2003 को कुछ हिस्से की भूमि पर कार्यवाही ड्रोप की तथा उक्त ड्रोप किये गये हिस्से बाबत सनद जारी किये जाने का निर्देश दिया। नायब तहसीलदार ने गलत रूप से अपीलार्थी के विरूद्ध 91 की कार्यवाही संस्थित की है एक ही प्रकरण में अलग अलग निर्णय पारित नही किया जा सकता। अदालत मातहत में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत के समक्ष जो नजीर जगपाल सिह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य का सहारा लिया है। उक्त नजीर में अपवाद दिया है कि अनुसुचित जाति व अनुसुचित जनजाति के प्रकरण में उक्त नजीर लागू नहीं है। इसलिये दोनों अदालत मातहत के निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरित है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 23.11.1990 को अन्तिम रूप से निर्णय पारित कर दिया उसके पश्चात उक्त निर्णय के विपरित निर्णय पारित नही किया जा सकता। अपीलार्थी के विरूद्ध ख0न0 23 व 29 के बाबत सम्पूर्ण कार्यवाही नियम विरूद्ध है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 27.07.2021 निरस्त किया जाकर पत्रावली अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जावे कि पूर्व में पारित निर्णय के अनुसरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी को जिस भूमि बाबत नायब तहसीलदार महोदय ने बाद पटवारी रिपोर्ट नोटिस दिया है उक्त भूमि पर अपीलार्थी अपने दादा के समय से आबाद है। उक्त भूमि पर वर्तमान खसरा नं0 23 व 29 बाबत नोटिस दिया है इस पर आजादी समय से पहले अर्थात सन् 1947 से पहले से इस भूमि पर आबाद है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 में प्रभाव में आया है। अपीलार्थी के पूर्वज 1956 से पूर्व से आबाद है। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रभाव भुतलक्षी नहीं है। इसलिये अपीलार्थी को लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 से बेदखली नही किया जा सकता। सन् 1974 में संयुक्त परिवार की हैसियत से जीवणराम को नोटिस दिया गया था जिसमें 91 की कार्यवाही ड्रोप कर दी गई थी। परन्तु उक्त पत्रावली रिकार्ड से तलफ कर दी गई। जब एक बार कार्यवाही 91 में ड्रोप कर दी गई है तो पुनः 91 की कार्यवाही संस्थित नही की जा सकती। पूर्व में अपीलार्थी के पिता नारूराम के विरूद्ध 1974 में कार्यवाही ड्रोप होने के पश्चात उसी भूमि बाबत पुनः कार्यवाही संस्थित की गई। जिसमें तहसीलदार महोदय के निर्णय के विरूद्ध जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष अपील की गई। जिला कलक्टर महोदय के निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुझुनू के समक्ष प्रस्तुत की तथा राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुंझुनूं ने दिनांक 23.11.90 को अपीलार्थी के पिता नारूराम की अपील स्वीकार की। "अतः अपीलान्ट की स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त किये जावे एवं विवादित भूमि जिस पर अपीलान्ट कदीमी रूप से आबाद होकर निवास कर रहा है नियमित की जाती है।" उक्त निर्णय पारित होने के पश्चात ना तो नायब तहसीलदार मण्डावा को नोटिस देना चाहिये था ना ही बेदखली की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। क्योंकि राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय मातहत अदालतों पर बाध्यकारित है। 1990 में निर्णय पारित होने के पश्चात् तहसीलदार ने अपीलार्थी के पिता को गलत रूप से नोंटिस जारी किया परन्तु दिनांक 28.06.2003 को कुछ हिस्से की भूमि पर कार्यवाही ड्रोप की तथा उक्त ड्रोप किये गये हिस्से बाबत सनद जारी किये जाने का निर्देश दिया। नायब तहसीलदार ने गलत रूप से अपीलार्थी के विरूद्ध 91 की कार्यवाही संस्थित की है एक ही प्रकरण में अलग अलग निर्णय पारित नही किया जा सकता। अदालत मातहत में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत के समक्ष जो नजीर जगपाल सिह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य का सहारा लिया है। उक्त नजीर में अपवाद दिया है कि अनुसुचित जाति व अनुसुचित जनजाति के प्रकरण में उक्त नजीर लागू नहीं है। इसलिये दोनों अदालत मातहत के निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरित है तथा सक्षम न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.09 16:36:53 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 23.11.1990 को अन्तिम रूप से निर्णय पारित कर दिया उसके पश्चात उक्त निर्णय के विपरित निर्णय पारित नही किया जा सकता। अपीलार्थी के विरूद्ध ख0न0 23 व 29 के बाबत सम्पूर्ण कार्यवाही नियम विरूद्ध है। अदालत मातहत को माननीय राजस्व अपील अधिकारी के आदेशों की पालना मे विवादित भूमि का नियमन करना था। अपीलान्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। अपीलान्ट के पक्ष मे सन् 1974 मे अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के खिलाफ कार्यवाही निरस्त की गई थी। इन तथ्यों को देखते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 27.07.2021 निरस्त किया जाकर पत्रावली अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जावे कि पूर्व में पारित निर्णय के अनुसरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 1 की अनुपस्थिति मे एकतरफा बहस सुनी गई।

रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों न तो कोई विरोध नही किया और ना ही कोई साक्ष्य–सबूत पेश किये।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 3 व 4 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम हमीरवास स्थित भूमि ख0न0 23 रकबा 0.15 है0 एवं ख0न0 29 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड मे से 0.17 है0 पर मकान चरी व बाडा बनाकर अवैध अतिक्रमण किया है। विवादित भूमि की किस्म गै0मु0 जोहड है जिस पर अपीलान्ट्स को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। अपीलेट कोर्ट ने पुनः सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने के बिदू पर अदालत मातहत को रिमाण्ड की गई थी। अदालत मातहत मे अपीलान्ट की जबाब देही हुई है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलान्ट ने ग्राम हमीरवास स्थित सरकारी भूमि ख0न0 23 रकबा 0.15 है0 एवं ख0न0 29 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड मे से 0.17 है0 पर मकान चरी व बाडा बनाकर अवैध अतिक्रमण किया है। उक्त भूमि राजकीय है एवं भूमि की किस्म गै0मु0 जोहड है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक नही है। भूमि की किस्म गै0मु0जोहड होने से विवादित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। ऐसी स्थिति मे हम अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2021 को उचित मानते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत को निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.09 16:36:53 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनू